



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112024-258433
CG-DL-E-04112024-258433

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4406]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 4, 2024/कार्तिक 13, 1946

No. 4406]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 4, 2024/KARTIKA 13, 1946

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4787(अ).—आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय में परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के नियम और विनियम के नियम 6(i) के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के शासी निकाय में इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए को नामित करती है; नामतः-

नियम 6(i)(ख) के अंतर्गत

(1) शल्य चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान

- उपाध्यक्ष

डॉ. शिवा कांत मिश्रा,

निदेशक एवं सीईओ, शिवानी अस्पताल एवं आईवीएफ, कानपुर

नियम 6(i)(ड) के अंतर्गत

(1) डॉ. रणदीप गुलेरिया,

-सदस्य

पूर्व निदेशक, एम्स, नई दिल्ली,

निदेशक, मेदांता में चिकित्सा शिक्षा

[फा. सं. वी.26012/06/2019-एमईपी]

पुष्पेंद्र राजपूत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2024

S.O. 4787(E).—In pursuance of Rule 6(i) of Rules and Regulations of the National Board of Examinations in Medical Sciences. New Delhi, the Central Government hereby nominates the following persons on the Governing Body of National Board of Examinations in Medical Sciences for a period of five years with effect from the date of issuance of this notification, namely:-

Under Rule 6(i)(b)

(1) Surgery & Allied Sciences

-Vice President

Dr. Shiva Kant Misra,

Director & CEO Shivani Hospital and IVF, Kanpur

Under Rule 6(i)(m)

(1) Dr. Randeep Guleria,

-Member

Ex-Director, AIIMS, New Delhi,

Director, Medical Education at Medanta.

[F. No. V.26012/06/2019-MEP]

PUSHPENDRA RAJPUT, Jt. Secy.